	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 13, शुक्रवार, शाके 1944-जून 3, 2022 Jyaistha 13, Friday , Saka 1944- June 3, 2022	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 27, 2022

संख्या प.4(9) कृषि/ग्रुप-2/2017 :-जैसा कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम 1961 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन जारी की गई अधिसूचना क्रमांक प.4(9) कृषि/ग्रुप-2/2017 जयपुर, दिनांक 28.11.2019 के द्वारा राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) जोधपुर एव सावित्रि बाई फुले कृषि उपज मण्डी समिति जोधपुर (फ.स.) के घोषित मण्डी क्षेत्र में से पंचायत समिति, तिवंरी व औसियां का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा पंचायत समिति, लोहावट की ग्राम पंचायतें क्रमशः पल्ली, जेरीया, पल्ली प्रथम, भीकमकोर, इन्दो की ढाणी द्वितीय, भियांडिया, इन्दो का बेरा, नौसर एवं पंचायत समिति बापिणी की ग्राम पंचायते क्रमशः रायमलवाडा, कपूरिया, कडवा, बैदूकलां, ओमपुरा, पुनासर खुर्द, बापिणी खुर्द, मोटानिया नगर, मतोडा, बापिनी, पूनासर, जाखण, पडासला, निम्बों का तालाब व बेंदू के क्षेत्र को पृथक कर एक नई कृषि उपज मण्डी समिति औसियां-मथानियां के नाम से स्थापित किये जाने के आशय की घोषणा की गई थी।

अब उक्त अधिनियम की धारा 4(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) जोधपुर एव सावित्रि बाई फुले कृषि उपज मण्डी समिति जोधपुर (फ.स.) के घोषित मण्डी क्षेत्र में से पंचायत समिति, तिवंरी व औसियां का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा पंचायत समिति, लोहावट की ग्राम पंचायते क्रमशः पल्ली, जेरीया, पल्ली प्रथम, भीकमकोर, इन्दो की ढाणी द्वितीय, भियांडिया, इन्दो का बेरा, नौसर एवं पंचायत समिति बापिणी की ग्राम पंचायतें क्रमशः रायमलवाडा, कपूरिया, कडवा, बैदूकलां, ओमपुरा, पुनासर खुर्द, बापिणी खुर्द, मोटानिया नगर, मतोडा, बापिनी, पूनासर, जाखण, पडासला, निम्बों का तालाब व बेंदू के समस्त क्षेत्र को पृथक करने की घोषणा करती है।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 4(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार घोषणा करती है कि राजस्थान राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अधिसूचित कृषि उपजो के क्रय-विक्रय के संबंध में पंचायत समिति, तिवंरी व औसियां का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा पंचायत समिति, लोहावट की ग्राम पंचायतें क्रमशः पल्ली, जेरीया, पल्ली प्रथम, भीकमकोर, इन्दो की ढाणी

द्वितीय, भियांडिया, इन्दो का बेरा, नौसर एवं पंचायत समिति बापिणी की ग्राम पंचायतें क्रमशः रायमलवाडा, कपूरिया, कडवा, बैदूकलां, ओमपुरा, पुनासर खुर्द, बापिणी खुर्द, मोटानिया नगर, मतोडा, बापिनी, पूनासर, जाखण, पडासला, निम्बों का तालाब व बेंदू का समस्त क्षेत्र कृषि उपज मण्डी समिति, औसियां-मथानियां का मण्डी क्षेत्र होगा।

अधिनियम की धारा 6 व 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपरोक्त मण्डी क्षेत्र के प्रयोग के लिए अधिसूचित कृषि उपजो के क्रय-विक्रय के नियमन हेतु राज्य सरकार कृषि उपज मण्डी समिति, औसियां-मथानियां का नियमन करती है तथा इस कृषि उपज मण्डी समिति को "द" श्रेणी में वर्गीकृत करती है।

इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से कृषि उपज मण्डी समिति, औसिया-मथानियां को प्राप्त होने वाला सम्पूर्ण राजस्व मण्डी समिति, औसिया-मथानियां के प्रथम बोर्ड के गठन होने तक कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) जोधपुर में पूर्ववत् जमा होगा तथा मण्डी समिति औसिया-मथानियां के प्रथम बोर्ड गठन होने के पश्चात उक्त जमा राशि राजमाता कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) जोधपुर द्वारा मण्डी समिति औसियां-मथानियां को स्थानान्तरित की जायेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

नसीम खान,

शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।